देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 01.04.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं।
- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत उत्तराखंड को एक सौ 13 करोड़ 90 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत।
- हरिद्वार में बन रहे पीएम यूनिटी मॉल का 46 प्रतिशत काम पूरा। देशभर के राज्यों और उत्तराखंड के पारंपरिक व विशिष्ट उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे।
- यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने राज्य में नई परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।

विद्युत नियामक आयोग

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए बिजली दरों पर बड़ा फैसला लेते हुए टैरिफ में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं दी है। आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित 17 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि को खारिज कर मौजूदा दरों को यथावत रखा है। आयोग के अध्यक्ष एम.एल प्रसाद, विधि सदस्य, अनुराग शर्मा और तकनीकी सदस्य प्रभात किशोर डिमरी ने देहरादून में पत्रकारों को ये जानकारी दी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एम.एल प्रसाद ने बताया कि यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता लगभग 14 हजार 732 करोड़ रुपये आंकी थी, जबकि आयोग ने इसे घटाकर करीब 12 हजार 489 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। मौजूदा टैरिफ पर अनुमानित राजस्व लगभग 12 हजार 590 करोड़ रुपये रहने से 100 करोड़ रुपए से अधिक का अधिशेष भी सामने आया है। प्रस्तावित बढ़ोतरी के संबंध में आयोग ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना आवश्यक नहीं है। हालांकि, टैरिफ संरचना को संतुलित करने के लिए कुछ श्रेणियों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए फिक्स्ड, डिमांड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्रॉस–सब्सिडी को राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार प्लसधाइनस 20 फीसदी के भीतर रखा गया है। आयोग ने यूपीसीएल को स्मार्ट मीटरिंग योजना समयबद्ध तरीके से लागू करने, उच्च लाइन लॉस वाले फीडरों की निगरानी और सुधार के लिए स्थायी समिति गठित करने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

केंद्र मंजूरी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वित्त आयोग प्रभाग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस क्रम में

उत्तराखंड राज्य को भी एक सौ 13 करोड़ 90 लाख रुपए दूसरी किश्त के रूप में स्वीकृत की गई है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण व आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इस निधि का उपयोग राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निधि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर केंद्र व राज्यांश को सार्वजनिक लेखा शीर्ष में जमा किया जाए, अन्यथा विलंब की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार ब्याज देय होगा। निर्वाचन आचार संहिता के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग द्वारा इस धनराशि के निर्गमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार–प्रसार नहीं किया जाएगा तथा आचार संहिता के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही आचार संहिता की अवधि में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह सहायता उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा राज्य की आपदा से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेगी।

आयोग प्रतिवेदन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. रवि शंकर ने शिष्टाचार भेंट की और उन्हें आयोग का प्रतिवेदन– 2026 से 2031 प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने आयोग के प्रतिवेदन की मुख्य अनुशंसाओं के बारे में बताते हुए सामुदायिक परिसंपत्तियों के रख–रखाव व उनकी समुचित मैपिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं और संसाधनों के समन्वय, सहयोग व सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने तथा वर्तमान परिवर्तनशील दौर में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नियमानुसार आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग की संस्तुतियां जनप्रतिनिधियों और आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आम जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।

पीएम यूनिटी मॉल

हरिद्वार में प्रस्तावित पीएम यूनिटी मॉल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लगातार निगरानी कर रही है, जिसके चलते अब तक करीब 46 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। पीएम यूनिटी मॉल को 'एक जिला–एक उत्पाद की अवधारणा पर विकसित किया जा रहा है। इसके तहत देशभर के राज्यों और उत्तराखंड के जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। इससे स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे उत्पादकों

को बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित मॉल में 56 दुकानों की व्यवस्था की जा रही है, जहां विभिन्न राज्यों के उत्पाद प्रदर्शित और बेचे जाएंगे। इसके साथ ही तीन मल्टीप्लेक्स भी बनाए जाएंगे, जिससे यह मॉल व्यापार के साथ–साथ मनोरंजन और पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। सचिवालय में आवास सचिव डॉ आर. राजेश कुमार ने पीएम यूनिटी मॉल के निर्माण कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस परियोजना को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि यह मॉल 'वोकल फॉर लोकल' और 'एक जिला–एक उत्पाद' जैसी पहल को मजबूत करेगा। इससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना की नियमित समीक्षा की जा रही है और निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, ताकि इस साल दिसंबर तक इसे पूरा कर प्रदेश को एक बड़ा व्यापारिक और पर्यटन केंद्र दिया जा सके।

यूजेवीएन मंजूरी

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमेटेड– यूजेवीएन के निदेशक मंडल ने प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजनाओं को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव वं यूजेवीएनएल के अध्यक्ष आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित निदेशक मंडल की 133वीं बैठक में निगम से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पिथौरागढ़ जिले में प्रस्तावित 120 मेगावाट की सिरकारी–भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्य शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा देहरादून जिले में 600 मेगावाट की इछाड़ी पम्प स्टोरेज परियोजना के लिए निविदा प्रपत्र तैयार करने के लिए सक्षम स्तर से स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में टौंस नदी पर प्रस्तावित 72 मेगावाट की त्यूणी–पलासू परियोजना के सिविल व हाइड्रो–मैकेनिकल कार्यों के आवंटन को भी मंजूरी दी गई। साथ ही पबर नदी पर प्रस्तावित 81 मेगावाट की आराकोट–त्यूणी जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए दिशा–निर्देश दिए गए।

राहत राशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केनरा बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंक की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है, जो जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों का सहयोग सराहनीय है। श्री धामी ने आशा व्यक्त की, कि भविष्य में भी केनरा बैंक इसी प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत योगदान देता रहेगा।

राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समक्ष लोकभवन में विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक काउंटर ड्रोन तकनीक का विस्तृत प्रस्तुतिकरण और डेमो प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के ड्रोन और काउंटर ड्रोन कार्यप्रणाली, क्षमताओं और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी। इस दौरान शासन, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बदलती सुरक्षा चुनौतियों और तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने इस प्रकार की उन्नत तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर बल देते हुए संबंधित विभागों को इनके संभावित उपयोग के प्रति सजग रहने की आवश्यकता बताई।